

मांग संख्या 81
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते के लिए ` 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते के लिए ` 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते के लिए ` 400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 4

13वें वित्त आयोग के अनुशांसा अनुसार नगर निगमों को अनुदान हेतु राशि ₹ 3015.29 लाख अतिरिक्त का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,15,29,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

13वें वित्त आयोग के अनुशांसा अनुसार नगर पालिकाओं को अनुदान हेतु राशि ₹ 958.00 लाख अतिरिक्त का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6

13वें वित्त आयोग के अनुशांसा अनुसार नगर पंचायतों को अनुदान हेतु राशि ₹ 1089.00 लाख अतिरिक्त का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,89,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 7

सुखद इंदिरा सहारा योजना हेतु ₹ 64.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 64,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹ 80.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9

राष्ट्रीय परिवार सहायता हेतु ₹ 400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हेतु ₹ 174.91 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,74,91,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11

सुखद इंदिरा सहारा योजना हेतु ₹ 35.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹ 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 13

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹ 24.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 14

नगर निगमों को प्रवेश कर (चुंगी-क्षतिपूर्ति) अनुदान हेतु ₹ 6590.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 65,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 15

नगर निगमों को मनोरंजन कर अनुदान हेतु ₹ 60.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 16

नगर पालिकाओं को प्रवेश कर (चुंगी-क्षतिपूर्ति) अनुदान हेतु ₹ 2270.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 22,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 17

नगर पालिकाओं को मनोरंजन कर अनुदान हेतु ₹ 19.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 19,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 18

नगर पंचायतों को प्रवेश कर (चुंगी-क्षतिपूर्ति) अनुदान हेतु ₹ 2500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।